6080

14

Certified copy of land use certificate

न्यायालय उपजिलाधिकारी बडौत

वाद संख्या 21 अ0 धारा 143 ज0वि0अ0

तेजपाल सिंह बनाम ग्राम सभा

मौजा सिरसली परगना बरनावा तहसील बडौत जनपद बागपत।

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.3.2013 पर संस्थित हुआ। वादी द्वारा कहा गया है कि वह खाता संख्या 302 के खसरा नम्बर 145 रकबा 0.1990 हे0 व खाता संख्या 453 के खसरा नम्बर 156 रकबा 0.1760 हे0, व खाता संख्या 1054 खसरा नम्बर 155 रकबा 0.1750 हे0 व खाता संख्या 376 खसरा नम्बर 146 रकबा 0.1750 हे0 व खाता संख्या 343 के खसरा नम्बर 147 रकबा 0.1750 हे0 व खाता संख्या 223 के खसरा नम्बर 138 रकबा 0.0460 हे0 व खसरा नम्बर 148 रकबा 0.1420 हे0 में से केवल रकबा 0.0540 हे0 कुल नम्बर 7 कुल रकबा 1.0000 हे0 लगान परतानुसार स्थित मौजा सिरसली परगना बरनावा तहसील बडौत जिला बागपत का मालिक काबिज संकमणीय भूमिधर है। उसने उपरोक्त खसरा नम्बरन की भूमि में चार दीवारी कर आबादी के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। इस भूमि में कोई भी कृषि कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर मिटटी भराव करके आबादी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तथा भविष्य में कृषि कार्य में प्रयोग नहीं किया जायेगा। जिसमें कालिज का निर्माण किया जायेगा। अंत में वादी 302 के खसरा नम्बर 145 रकबा 0.1990 हे0 व खाता संख्या 453 के खसरा नम्बर 156 रकबा 0.1760 हे0, व खाता संख्या 1054 खसरा नम्बर 155 रकबा 0.1750 हे0 व खाता संख्या 376 खसरा नम्बर 146 रकबा 0.1750 हे0 व खाता संख्या 343 के खसरा नम्बर 147 रकबा 0.1750 हे0 व खाता संख्या 223 के खसरा नम्बर 138 रकबा 0.0460 हे0 व खसरा नम्बर 148 रकबा 0.1420 हे0 में से केवल रकबा 0.0540 हे0 कुल नम्बर 7 कुल रकबा 1.0000 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित कराने की प्रार्थना की है तथा साथ में अपने कथन के समर्थन में अपना शपथ पत्र भी संलग्न किया है।

तहसीलदार बडौत द्वारा स्थलीय जांच कर आख्या दिनांक 22.4.2013 को दी है कि प्रश्नगत भूमि में आर.एस. कालिज आफ एजूकेशन निर्माणाधीन है। मौके पर चार दीवारी हुई है। प्रश्नगत भूमि कृषि, बागवानी, मतस्यपालन, व पशुपाल के उपयोग में नहीं है। भूमि का प्रयोग गैर कृषिक है। उ0प्र0ज0वि0अ0 की धारा 143 के अंतर्गत तदानुसार घोषणा हेतु आख्या, प्रेषित की गई है। सहखातेदारों ने अपना-अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये कहा है कि उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त भूमि कृषि, बागवानी, मतस्यपालन, कुक्कुटपालन आदि के कार्य में नहीं आ रही है। मौके पर स्कूल की इमारत एवं खेल का मैदान है। अतः तहसीलदार बडौत की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 22.4.2013 के आधार पर प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा सिरसली परगना बरनावा तहसील बडौत के फसली वर्ष 1415–1420 के खाता संख्या 302 के खसरा संख्या 145 रकबा 0.1990 लगान रू0 8.50, खाता संख्या 00453 के खसरा नं0 156 रकबा 0.1760 लगान रू0 7.93 खाता संख्या 01054 के खसरा नम्बर 155 रकबा 0.1750 लगान रू0 7.65, खाता संख्या 00376 के खसरा संख्या 146 रकबा 0.1750 लगान रू0 7.92, खाता संख्या 00343 खसरा संख्या 147 रकबा 0.1750 लगान रू0 7.92, खाता संख्या 00223 के खसरा संख्या 138 रकबा 0.0460 व खसरा नम्बर 148 रकबा 0.1420 में से केवल रकबा 0.0540 लगान रू0 2.28 पर अंकित नाम आर.एस. कालेज आफ एजुकेशन बामनौली द्वारा अध्यक्ष तेजपाल सिंह पुत्र रिसाल सिंह निवासी ग्राम बामनौली परगना बरनावा तहसील बडौत जनपद बागपत से सम्बन्धित भूमि को, अकृषिक घोषित करते हुये उक्त भूमि से लगान उपरोक्तानुसार समाप्त किया जाता है। तदानुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपनिबन्धक बडौत को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाये।

दिनांक– 28/5/2013

(राजेन्द्र सिंह) 28/5/13
उपजिलाधिकारी
बडौत

नकल कर्ता......
तुलना कर्ता......

प्रतिलिपि हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र का दिनांक 30/1/2
प्रतिलिपि तैयार होने का दिनांक 31/1/2
प्रतिलिपि देने का दिनांक 31/1/2
प्रतिलिपि निर्गत करने वाले के हस्ताक्षर

अभिलेखपाल माल प्रतिलिपि विभाग कलेक्ट्रेट, बागपत